



प्राविधिक शिक्षा निदेशालय
उत्तर प्रदेश
विकास नगर, कानपुर-208002
Visit us: <http://upted.gov.in/directorate>

Phone No : 2582084
Fax No : 2580968
E-mail : director@upted.gov.in

::-आदेश:-

शासनादेश संख्या वि०वे०नि०(प्रकोष्ठ)189/दस-2014-11-2013, दिनांक-22.09.2014 द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय सवर्ग सेवा नियमावली, 2014 में निहित प्राविधानानुसार निदेशालय के आदेश सं०-19483-89 /ई-स्था०वि०रा०पा०अरा०पदोन्नति(लिपिक वर्गीय) दिनांक-28.08.2023 द्वारा गठित विभागीय पदोन्नति चयन समिति की संस्तुति पर प्राविधिक शिक्षा (डिप्लोमा सेक्टर), उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन राजकीय पालीटेक्निक, संस्थाओं में वरिष्ठ सहायक, बैण्डवेतन रु० 5200-20200, ग्रेड पे-2800/- के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त निम्नलिखित कार्मिकों को वरिष्ठता क्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित संस्था में रिक्त प्रधान सहायक, बैण्डवेतन रु० 9300-34800, ग्रेड पे रु० 4200/- (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन संरचना लेबल-6) के रिक्त पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत करते हुए अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम तथा पदनाम श्री/श्रीमती	संस्था का नाम, जहां वर्तमानतः कार्यरत है।	संस्था का नाम जहां पदोन्नति के फलस्वरूप तैनात किया जा रहा है।
1.	अजय कुमार सक्सेना वरिष्ठ सहायक	राजकीय पालीटेक्निक, मनकेड़ा आगरा	सेठ गंगा सागर जटिया पालीटेक्निक खुर्जा
2.	योगेन्द्र कुमार वरिष्ठ सहायक	राजकीय पालीटेक्निक, चांगीपुर नूरपुर, बिजनौर	राजकीय पालीटेक्निक, महोबा
3.	अधियज्ञ त्रिपाठी वरिष्ठ सहायक	राजकीय पालीटेक्निक, मुजहना, हाटा, कुशीनगर	राजकीय पालीटेक्निक, गोण्डा

उपरोक्त पदोन्नति प्राप्त कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी नई नियुक्ति/तैनाती संस्था पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करें। कार्मिकों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 के अनुसार बाद में निर्धारित की जायेगी।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(के० राम)
निदेशक

पृ०सं०- 22687-95 /ई-स्था०वि०रा०पा०अरा०पदोन्नति(लिपिक वर्गीय), कानपुर दिनांक-20/09/23
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
2. विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन, विधान भवन लखनऊ।
3. संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पूर्वी क्षेत्र वाराणसी/पश्चिमी क्षेत्र दौराला मेरठ/बुन्देलखण्ड क्षेत्र झांसी/मध्य क्षेत्र लखनऊ।
4. संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. संबंधित संस्था प्रधानाचार्य को इस आशय से कि अपनी-अपनी संस्था से संबंधित प्रोन्नत कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करते हुये नई नियुक्ति/तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित कर दें तथा कार्मिक की कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण किये जाने की सूचना शीघ्रतिशीघ्र ई-मेल पर उपलब्ध करा दें।
6. संबंधित कर्मचारी द्वारा संस्था प्रधानाचार्य।

(के० राम)
निदेशक